बिहार सरकार

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन , मीठापुर, पटना - 800001

ई-मेल–diragri-bih@nic.in वेबसाइट –state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष /फैक्स– 0612-2215895

पत्र सं०–रा०कृ०वि०यो०को०–18 / 2024 3587 / कृ०, पटना, दिनांक 01- अगस्त, 2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, (सभी)।
जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (DPR Based Scheme) **अन्तर्गत किसानों के लिए भंडारण गोदाम के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अन्तर्गत किसानों के लिए भंडारण गोदाम के निर्माण की स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यान्वयन अनुदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश एवं कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(मुकेश कुमार लाल)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3587 कृ०, पटना, दिनांक 01- अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :–प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) (सभी) / संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) बिहार, पटना / सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (सभी) / प्रभारी पदाधिकारी, डी.बी.टी. कोषांग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme)
अंतर्गत किसानों के लिए भंडारण गोदाम के निर्माण की योजना
कार्यान्वयन अनुदेश
वित्तीय वर्ष 2024–25

प्रस्तावना:– ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए भंडारण की व्यवस्था होने से किसान कृषि उत्पादों का सुरक्षित भंडारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आपदा के समय यदि गोदाम की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार को गोदाम उपलब्ध हो सकेगा। इस निमित्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अन्तर्गत विपणन सहायता के लिए भण्डारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना ली गयी है जिसकी क्षमता 100 एवं 200 मे0 टन होगी।

1. **लक्ष्य**:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत 100 एवं 200 मे0 टन गोदाम निर्माण योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुसूची–1 एवं 2** के रूप में संलग्न है। संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप गोदाम निर्माण करायेंगे।

लक्ष्य का वितरण:–

(1) राज्य स्तर पर DBT कोषांग के माध्यम से जिलावार निर्धारित लक्ष्य की प्रविष्टी करायी जायेगी।

(2) जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार भौतिक लक्ष्य निम्न प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करेंगे :–

(क) आपदा से प्रभावित होने वाले प्रखण्डों को प्राथमिकता दी जाय ताकि आवश्यकता होने पर प्रभावितो की सहायता हेतु इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) पंचायत की संख्या के आधार पर निर्धारित करेंगे।

(3) जिला कृषि पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल में प्रखण्डवार लक्ष्य का निर्धारण कर संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को संसूचित करेंगे एवं निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत आवेदन सृजन कर कार्य पूर्ण करावेंगे। समय सीमा के अन्दर प्रखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त नहीं होने पर दूसरे प्रखण्ड को लक्ष्य आवंटित कर सकेंगे।

2. **कृषकों के चयन की प्रक्रिया** :–

2.1 पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

2.2 कृषक प्रगतिशील एवं इच्छुक हों।

2.3 DBT पोर्टल पर **(गोदाम निर्माण हेतु आवेदन 2024–25)** लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन में आवश्यक सूचना एवं वांछित कागजात समर्पित करना होगा।

2.4 आवेदन के पश्चात् लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। चयन के पश्चात् सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन में अयोग्य पाये जाने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जायेगा।

2.5 गोदाम का निर्माण ऐसी भूमि पर कराया जाय जहाँ सभी मौसमों में वाहन के आवागमन की सुविधा हो तथा जल–जमाव नहीं होता हो।

2.6 गोदाम निर्माण हेतु किसान के पास भूमि उपलब्ध हो जिस पर उसका स्वामित्व हो एवं भूमि की जमाबंदी लाभार्थी कृषक के नाम से हो।

2.7 गोदाम निर्माण का लाभ एक किसान को एक बार ही देय होगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को अनुदान का लाभ देय होगा। पूर्व में यदि किसी किसान अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना अथवा किसी अन्य योजना से गोदाम निर्माण का लाभ दिया गया है तो वैसे किसान को गोदाम निर्माण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

2.8 गोदाम का उपयोग कृषि उपज के भंडारण के लिए ही किया जायेगा।

3. आवेदन की प्रक्रिया :–

3.1 **आवेदन की प्राप्ति** :– आवेदक द्वारा सर्वप्रथम कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा।

3.2 पंजीकरण करने के उपरांत गोदाम निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

3.3 जिस प्लॉट पर गोदाम का निर्माण होना है, आवेदन उसी जगह से किया जायेगा। Geotagged photograph लेना अनिवार्य होगा। Captured अक्षांश–देशांतर के हिसाब से सत्यापन कार्य किया जायेगा।

3.4 लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जायेगा।

3.5 चयनित किसानों के आवेदन का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

3.6 कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

3.7 कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र के साथ आवेदन संबंधित जिला के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) संबंधित आवेदक के मापी पुस्तिका पर काम करेंगे एवं कृषि समन्वयक संबंधित आवेदक के द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

3.8 सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि समन्वयक की जाँच रिपोर्ट एवं मापी पुस्तिका को आवेदन में अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए अनुशंसा करेंगे।

3.9 जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर PFMS के माध्यम से अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।

3.10 पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को दिया जायेगा।

3.11 MIS Generation की व्यवस्था जिला एवं मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

3.12 **आवेदन की जाँच** :– आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। यह जाँच किसानों के द्वारा आवेदन में उल्लेखित स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक प्रगतिशील किसान हैं या नहीं तथा उन्हें वास्तव में गोदाम की आवश्यकता है या नहीं। जमीन के कागजातों की जाँचकर सुनिश्चित किया जायेगा कि जमाबंदी आवेदक के नाम पर है।

अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया एवं गोदाम निर्माण पूर्ण करने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। **स्वीकृति पत्र में गोदाम का उपयोग किसी भी स्थिति में कृषि ऊपज के भंडारण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने का उल्लेख भी किया जायेगा।** स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं कृषि समन्वयक को भी दी जायेगी जिससे की गोदाम निर्माण के क्रम में उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा इसकी जाँच की जा सके।

3.13 स्वीकृति पत्र की दो मूल प्रतियां तैयार की जायेगी एवं उन पर किसान का भी हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा। एक प्रति कार्यालय में संधारित किया जायेगा एवं द्वितीय प्रति आवेदक किसान को, Architectural एवं Structural Design तथा मॉडल प्राक्कलन के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

3.14 कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात् एक माह के अंदर निर्माण का कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा।

3.15 छह माह के अंदर गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

3.16 निर्मित गोदाम में कृषि ऊपज भंडारण के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लाभुक से इस संबंध में निश्चित रूप से एकरारनामा प्राप्त करेंगे (प्रारूप अनुसूची–3 पर संलग्न)।

4. गोदाम निर्माण की प्रक्रिया :–

4.1 गोदाम निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था किसान स्वयं करेंगे एवं किसान को जमीन के स्वामित्व के संबंध में साक्ष्य (जमाबंदी) उपलब्ध कराना होगा।

4.2 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम निर्माण के लिए कार्यादेश निर्गत के पश्चात स्वीकृत प्राक्कलन एवं मॉडल के अनुसार लाभान्वित किसान 06 (छह) माह में गोदाम निर्माण पूर्ण करायेंगे। लाभुक किसान कार्य प्रारम्भ करने की सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। **जिला कृषि पदाधिकारी कार्य प्रारम्भ करने के दिन सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।** सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण अपनी उपस्थिति में ले–आउट करायेंगे।

4.3 जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेंगे तथा जिलें में उपलब्ध अभियंत्रण योग्यताधारी कृषि समन्वयक/ATM/BTM/WDT (Engg. Expert)/अन्य कार्य विभाग के कनीय अभियंता से मापी संधारित करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी सत्यापित मापीपुस्त निर्गत करेंगे एवं मापीपुस्त को क्रमांकित करते हुए निर्गत किये गये मापीपुस्त की सूचना एक पृथक पंजी में संधारित करेंगे।

4.4 निर्माण कार्य तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप होने का सत्यापन संबंधित जिला/प्रमंडल में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) करेंगे।

4.5 किसान को निर्धारित तिथि तक गोदाम निर्माण का कार्य सम्पन्न कर लेना होगा अन्यथा राशि व्ययगत होने की स्थिति में अनुदान की राशि का दावा मान्य नहीं किया जायेगा।

4.6 गोदाम पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र लाभुक किसान इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे। सूचना प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर इसकी जाँच कंडिका–5.1 के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.7 किसान 100/200 मे० टन से अधिक क्षमता के गोदाम का निर्माण कर सकते है परन्तु अनुदान की राशि 100/200 मे० टन के लिए निर्धारित राशि तक ही सीमित होगी।

निर्धारित क्षमता से कम क्षमता के निर्माण पर गोदाम का अनुमान्य अनुदान देय नहीं होगा।

4.8 मॉडल प्राक्कलन के अनुसार गोदाम के छत का निर्माण Square tubler truss पर G.I Sheet से कराया जायेगा। **आर०सी०सी० छत मान्य नहीं होगा।**

4.9 **कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) स्थल का अविलंब सत्यापन करते हुए लाभुक को गोदाम निर्माण के तकनीकी पहलुओं से अवगत करायेंगे तथा निर्माण के दौरान समय–समय पर भ्रमण कर सतत तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। गोदाम निर्माण कार्य समाप्ति के उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी को विहित प्रपत्र (अनुसूची–9) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

5. निर्मित गोदाम का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :–

5.1 अनुदानित दर पर बनाये गये गोदाम का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन किसान के घर जाकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। सत्यापन पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र **(अनुसूची–4)** में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। तदुपरांत सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा गोदाम की तकनीकी जाँच कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अपलोड किया जायेगा **(जाँच का प्रपत्र अनुसूची 5–6 पर संलग्न)**। जिला कृषि पदाधिकारी जाँच से संतुष्ट होकर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

5.2 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन पदाधिकारी से अनुशंसा एवं कृषि अभियंता से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अंदर अनुदान का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT के द्वारा लाभुक के खाता में किया जायेगा।

6. अनुदान दर

गोदाम क्षमता	अनुदान दर	
	सामान्य	अनु०जाति/अनु०जनजाति
100 मे०टन	रू० 5,50,000/–प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	रू० 7,00,000/– प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो
200 मे०टन	रू० 8,00,000/–प्रति इकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	रू० 10,00,000/– प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

7. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया

गोदाम (100 MT)

7.1 **सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए** :– जाँच पत्र पर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुशंसा के आलोक में जाँच पत्र समर्पित होने के अधिकतम 15 दिनों के अंतर्गत लाभुक किसान को अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

7.2 **अनु० जाति/अनु० जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए** :– अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

प्रथम किस्त :– लिन्टल कार्य के पश्चात मापी का 50% राशि अथवा 3.50 लाख तक जो भी कम हो।

द्वितीय किस्त :– कार्य पूरा होने के पश्चात पूरी मापी का 50% राशि अथवा पूर्व में भुगतान की गई राशि को जोड़कर 7.00 लाख तक जो भी कम हो।

<u>गोदाम (200 MT)</u>

7.3 **सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए** :– जाँच पत्र पर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की अनुशंसा के आलोक में जाँच पत्र समर्पित होने के अधिकतम 15 दिनों के अंतर्गत लाभुक किसान को अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

7.4 **अनु० जाति/अनु० जनजाति श्रेणी के किसानों के लिए** :– अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

प्रथम किस्त :– लिन्टल कार्य के पश्चात मापी का 50% राशि अथवा 5.00 लाख तक जो भी कम हो।

द्वितीय किस्त :– कार्य पूरा होने के पश्चात पूरी मापी का 50% राशि अथवा पूर्व में भुगतान की गई राशि को जोड़कर 10.00 लाख तक जो भी कम हो।

7.5 **विशेष परिस्थिति** :– यदि कृषि अभियंता के द्वारा गोदाम की क्षमता 100/200 मे० टन से दस प्रतिशत तक कम पायी जाती है वैसी परिस्थिति में किसान को उसी अनुपात (Pro-rata basis) में अनुदान की राशि काटकर अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

7.6 **अनु०** जाति/अनु० जनजाति के लाभुक किसान प्रत्येक किस्त के लिए निर्धारित स्तर तक कार्य पूरा होने के पश्चात अनुदान की राशि का भुगतान हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देंगे। जिला कृषि पदाधिकारी मापी–पुस्तक जाँच एवं किये गये कार्य के भौतिक सत्यापन के पश्चात शेष अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।

8. <u>गोदाम निर्माण पर अनुदान हेतु आवेदन/जाँच/स्वीकृति/भौतिक सत्यापन/सूची संधारण हेतु विहित प्रपत्रः–</u>

100 एवं 200 मे० टन गोदाम निर्माण के क्रम में वहाँ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाँच हेतु एक विवरणी तैयार की गई है जो **अनुसूची–5 एवं 6** (प्रारूप) के रूप में संलग्न है। विवरणी के अनुसार गोदाम निर्माण के क्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा समय–समय पर जाँच की जाएगी।

9. <u>पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण</u> :–

9.1 विभिन्न पदाधिकारियो के द्वारा उनके पद के सामने अंकित प्रतिशत के अनुरूप गोदाम निर्माण के लक्ष्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

पदनाम	स्थलीय सत्यापन का लक्ष्य
प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)	5%
जिला कृषि पदाधिकारी	10%
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	50%
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	100%

9.2 विभिन्न स्तर के पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय सत्यापन का प्रतिवेदन संरक्षित रखेंगे ताकि अंकेक्षण दल द्वारा माँग किये जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

9.3 जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के सभी प्रतिनिधियों को लाभान्वितों की सूची उपलब्ध करायेंगे।

9.4 जिला कृषि पदाधिकारी **अनुसूची–7** (प्रारूप) के अनुसार लाभुकों की सूची तैयार करेंगे एवं इसे कृषि निदेशालय तथा संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को उपलब्ध करायेंगे।

10. सूचना पट्ट :–

निर्मित गोदाम पर बड़े–बड़े अक्षरों में योजना का नाम/लाभुक का नाम/प्राक्कलित राशि/अनुदान की राशि/स्वीकृति वर्ष/बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा सहायता प्राप्त करने का उल्लेख **अनुसूची–8** (प्रारूप) के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

11. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई/शपथ पत्र :–

भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में यदि ऐसा पाया जाता है कि किसानों द्वारा गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया है या गोदाम का उपयोग कृषि उपज के भंडारण के अलावे किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जायेगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। आपदा की स्थिति होने पर सरकार के उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक से इस संदर्भ में शपथ पत्र अनुसूची–3 (प्रारूप) में लिया जाएगा।

12. गोदाम निर्माण का प्राक्कलन एवं नक्शा :–

12.1 गोदाम के निर्माण में मिट्टी का कार्य अनुमान्य नहीं होगा।

12.2 गोदाम का निर्माण के लिए सुलभ प्रसंग हेतु Architectural एवं Structural Design तथा मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया जा रहा है **अनुसूची–10** एवं **11** (प्रारूप) । इस प्रकार गोदाम निर्माण की प्राक्कलित राशि 14.191 लाख (चौदह लाख उन्नीस हजार एक सौ) रूपये 100 MT के लिए एवं 20.249 लाख (बीस लाख चौबीस हजार नौ सौ) रूपये 200 MT के लिए होगी।

12.3 100 मे० टन मॉडल गोदाम का साईज 12.3 x 7.8 मीटर एवं 200 मे० टन मॉडल गोदाम का साईज 16.35 x 10.5 मीटर का है, जिसका Architectural एवं Structural Design एवं मॉडल प्राक्कलन संलग्न है। कार्य स्थल पर मॉडल डिजाईन के प्लॉट साईज उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) कृषक के प्लॉट साईज के अनुसार Architectural एवं Structural Design तैयार करा कर जिला कृषि पदाधिकारी के समन्वय से कार्य करा सकेंगे। **कृषक के प्लॉट के अनुसार तैयार डिजाईन में उपरोक्त क्षमता के गोदाम का न्यूनतम क्षेत्रफल रखना अनिवार्य होगा तथा गार्ड रूम एवं ऑफिस वैकल्पिक होगा।**

13. प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान

पंचायत/प्रखंड स्तर पर गोदाम पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि एवं गोदाम की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। प्रचार–प्रसार में होने वाला व्यय जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा के पास उपलब्ध आकस्मिकता मद से किया जायेगा।

14. जिला कृषि पदाधिकारी का विशेष दायित्व

14.1 गोदाम निर्माण के लिए अन्तरविभागीय समन्वय करने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स के एजेंडा में गोदाम निर्माण मद को शामिल करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। यदि विशिष्ट आवश्यकता हो तो टास्क फोर्स के वर्त्तमान सदस्यों के अतिरिक्त एस0 एफ0 सी0, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी टास्क फोर्स की बैठक में आमंत्रित करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। टास्क फोर्स में जिला में पदास्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भी निश्चित रूप से भाग लेंगे।

14.2 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम की उपलब्धता के संबंध में पूर्ण विवरण जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा एस0एफ0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं DM-SFC से 100/200 MT की सूची प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करा लिया जायेगा कि अनुदान का दोहरा भुगतान नहीं हो सके।

14.3 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम कार्य के अनुश्रवण एवं मापी तथा ले–आऊट से लेकर गोदाम निर्माण पूर्ण होने तक गोदाम निर्माण कार्य का अनुश्रवण एवं मापी किया जायेगा।

14.4 गोदाम निर्माण कार्यक्रम का अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। **जिला कृषि पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि गोदाम निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूर्ण करावें एवं अनुदान की राशि का त्वरित भुगतान करें।**

14.5 जिला कृषि पदाधिकारी Architectural एवं Structural Design तथा मॉडल प्राक्कलन की प्रति किसान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

15. अभिलेख संधारण :–

गोदाम निर्माण के स्थल का अक्षांश–देशान्तर के साथ निर्माण पूर्व एवं निर्माण के पश्चात Geo Tagged Photograph लेना अनिवार्य होगा। इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निर्धारित Geotagging app में कराना सुनिश्चित की जायेगी।